प्र.पी.-198

D-183

कार्यवाही पंचनामा

थाना एसीबी जगदलपुर		जिला जगदलपुर
अपराध क्रमांक 09/2015		धारा 13 (1) डी, 13 (2) पी.सी.एक्ट 1988 एवं 120 बी, 109 भा.द.वि.
पंचनामा बनाने का दिनांक,समय	–	28.03.2015 के 12:00 बजे
पंचनामा बनाने का स्थान	–	छ.ग. वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के गोदाम, रतेसरा,चारामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
जिसके समक्ष पंचनामा बनाया गया	–	(1) श्री दीपक मेहता पिता स्व.श्री एस.के.मेहता, उम्र 38 वर्ष साकिन पद शाखा प्रबंधक, छ.ग. वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, नरहरपुर जिला–उत्तर बस्तर, कांकेर, (छ.ग.) . (2)श्री राजेन्द्र उसेन्डी पिता स्व. श्री मगंलराम उसेन्डी,उम्र 35 वर्ष साकिन पद तकनीकि सहायक, नागरिक आपूर्ति निगम, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर, (छ.ग.)
जिनके द्वारा सेम्पल लिया गया	–	(1) श्री जितेन्द्र एस. डामोर पिता श्री सुरजी भाई डामोर उम्र 41 वर्ष साकिन पद प्रबधंक गुणवत्ता निरीक्षक, भारतीय खाद्य निगम, जगदलपुर (2) श्री आशीष चौधरी पिता श्री दयानन्द चौधरी उम्र 31 वर्ष साकिन पद तकनीकि सहायक, भारतीय खाद्य निगम, जगदलपुर
कार्यवाही का स्थान	–	छ.ग. वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के गोदाम, रतेसरा ,चारामा, के गोदाम क्रमांक 06 का
विवेचक	–	चन्द्रशेखर ध्रुव, निरीक्षक एन्टी करप्शन ब्यूरो, जगदलपुर

सत्यापित प्रति
(... देवस्थले)
निरीक्षक ... / ए.सी.बी.
... (छ.ग.)

विवरण :– आज दिनांक 28.03.2015 के 10:00 बजे जिला– उत्तर बस्तर कांकेर के रतेसरा,चारामा स्थित छ.ग. वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के गोदाम मे पहुंचा। गोदाम क्रमांक 07 के स्टेक क्रमांक 10 का उठाव होना पाया गया है। अन्य गोदाम क्रमांक 06 स्थित है। गोदाम क्रमांक 06 के स्टेक क्रमांक 15 मे रखे चावल बोरों से वहां पर उपस्थित श्री दीपक मेहता एवं श्री राजेन्द्र उसेन्डी

Athish 28/3/15 ... 28/3/15 ... 28/3/15 ... 28/3/15

उसेन्डी के समक्ष भारतीय खाद्य निगम के उक्त कर्मचारियों द्वारा अपनी निर्धारित तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सर्व प्रथम उक्त स्टेक से रेडंम विभिन्न बोरों से 1–1 सेम्पल निकाला गया। उक्त स्टेक क्रमांक 15 में पटेल राईस मिलर लाट नम्बर 1471,1472,1479 कुल 03 लाट, मोहन राईस मिलर लाट नम्बर 1822 कुल 01 लाट, तथा संतोष राईस मिलर लाट नम्बर 1729 कुल 01 लाट जुमला 05 लाट हैं। उक्त स्टेक को नान के अधिकारीयों से वहां उपस्थित हमालों के माध्यम से डि स्टेक कर राईस मिलर के लाट के हिसाब से पृथक पृथक रखवाया गया। उक्त 05 लाटो से भारतीय खाद्य निगम के उक्त कर्मचारियों द्वारा अपनी निर्धारित तकनीक का इस्तेमाल करते हुए विभिन्न बोरों से पृथक पृथक 5–5 चावल सेम्पल लिया गया। कुल 6–6 चावल सेम्पल लेकर मौके पर भारतीय खाद्य निगम के उक्त कर्मचारियों द्वारा सील बन्द किया गया। उक्त स्टेक से सम्बधित स्टेक पंजी के सत्यापित फोटो कापी प्राप्त किया।

हस्ताक्षर सेम्पल लेने वाले का
(1)

(2)

हस्ताक्षर जिसके समक्ष किया गया
(1) 28/3/15

(2) 28/3/15

28/3/15
(चन्द्रशेखर ध्रुव)
निरीक्षक
एन्टी करप्शन ब्यूरो,
जगदलपुर (छ0ग0)

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक ई.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)